



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त को 08 वर्ष के कठोर कारावास व 32,000/-रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-193/2016 धारा-457, 354, 306 भा०द०सं० सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामनरायन पुत्र सिद्धा प्रजापति नि० ग्राम बरखेरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 08 वर्ष के कठोर कारावास व ₹32,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उ०नि०
श्री स्वामीनाथ



पैरोकार- थाना जलालपुर
का० रवि तेवतिया